भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1013
22 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

रात में देखने वाले उपकरण

1013. श्री राघव लखनपाल:

श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी के रात में देखने वाले उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) रात में देखने वाले उपकरणों, हाइटेक सीसीटीवी कैमरा और अर्द्ध सुरक्षा तथा निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सीमाओं पर और तटवर्ती क्षेत्रों में थर्मल कैमरा और अत्याधुनिक कैमरा लगाने और शुरू करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) सरकार द्वारा सशस्त्र बलों विशेष रूप से सेना और विशेष बल जिनके पास वर्तमान दूसरी पीढ़ी के रात में देखने वाले उपकरण हैं, कि रात में लड़ाई करने, क्षमता को बढ़ाने और उसे अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)

(क) से (ग) : सरकार सुरक्षा परिदृश्य की नियमित समीक्षा करती है और तदनुसार संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर रात्रि दृश्य उपकरणों सहित उपयुक्त रक्षा उपकरणों को शामिल करने का निर्णय लेती है । जब कभी आवश्यकता होती है तो प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के कारण उपस्करों का अपग्रेडेशन किया जाता है । कभी-कभी आवश्यकताओं तथा उपलब्धता के बीच असंगति हो जाती है जिसे आवंटित बजट में से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिप्राप्तियों के जरिए ठीक किया जाता है । वर्ष 2015-16 में भारतीय सेना के लिए रात्रि दृश्य उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु 1469.19 करोड़ रुपए मूल्य की संविदाएं की गई थीं ।

(घ) और (ङ) : सरकार ने ऐसे कठिन भू-भागों में परिष्कृत निगरानी के लिए, जहां बाड़ नहीं लगाई जा सकती, प्रौद्योगिकीय समाधान लगाने का निर्णय लिया है । इसके अलावा, तटरेखा के समीप विभिन्न अवस्थितियों पर तटीय निगरानी प्रणालियां लगाई गई हैं । सभी इमेज इनटेंसिफायर (II) रात्रि दृश्य उपकरणों को अपग्रेड किया गया है । लघु शस्त्रास्त्रों के लिए रात्रि दृश्य उपकरणों की अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है ।

***